

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- F2(B)/Comp./Budget/16-17/ 494


दिनांक:- 20/9/16

कार्यालय आदेश

विभिन्न खण्ड कार्यालयों द्वारा सम्पादित किये जा रहे निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु आवश्यकतानुरूप बजट आवंटित करवाने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्तमान में सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता द्वारा सीधे ही वित्तीय सलाहकार को प्रस्तुत किये जाने की वर्तमान प्रक्रिया को संशोधित कर एतद् द्वारा निम्नानुसार पुनर्निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्यवाही	समय सीमा (कार्यदिवस)
1.	सभी आवासीय अभियन्ताओं द्वारा उनके खण्ड कार्यालय के अधीन सम्पादित/चल रहे निर्माण कार्यों हेतु आवश्यकतानुरूप बजट आवंटन के प्रकरण की पत्रावली तैयार कर कार्यालय टीप पर सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त की स्पष्ट अनुशंषा सहित, सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत किये जावेंगे।	—
2.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा ऐसे प्रस्तावों के औचित्य का परीक्षण एवं वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए, एतदविषयक टिप्पणी तथा स्पष्ट अनुशंषा सहित, प्रकरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को अग्रेषित किया जावेगा।	02 दिवस
3.	मुख्य अभियन्ता द्वारा ऐसे प्रस्तावों की कार्य प्रगति एवं गुणवत्ता की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए, प्रस्ताव वित्तीय सलाहकार को अन्तरित किये जावेंगे।	02 दिवस
4.	वित्तीय सलाहकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों के समग्र परीक्षण उपरान्त, अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा सहित सक्षम स्वीकृति हेतु आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।	03 दिवस

सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की सख्त पालना सुनिश्चित की जावे।



(ए. मुखोपाध्याय)

अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा.आ.मं. जयपुर।
2. सचिव, रा.आ.मं., जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु.)/प्रथम/द्वितीय, रा.आ.मं., जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर एवं जोधपुर।
5. वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त (समस्त), रा.आ.मं., (समस्त)।
7. आवासीय अभियन्ता (समस्त), रा.आ.मं., (समस्त)।
8. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, रा.आ.मं., (समस्त)।

य. संयुक्त निदेशक (C.A) का जयपुर (जयपुर) कोटि अतिरिक्त सचिव व
अध्यक्ष व अधिकारियों के जयपुर पर उपरोक्त करें।


(अरुती बागोटिया)
वित्तीय सलाहकार